न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 81/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
चम्पालाल पुत्र पदमामजी जाति लोहार उम्र 69 साल निवासी गोल तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थित :–
1– श्री दिनेश टांक,वकील प्रार्थी
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने ।

आदेश

दिनांक 25 –6–2019

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण स्टेट बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 11–8–18 कोपेश किया । जिसका संक्षिप्त मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से गांव गोल पटवार हल्का गोल तहसील व जिला सिरोही मे खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या 73

काश्तकार का नाम/पिता का नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार

खसरा संख्या	क्षैत्रफल	भूमि वर्गीकरण
1707/580	0.3100 हैक्टेयर	चाही 3
1714/1182	0.8100 हैक्टेयर	बारानी 3
1717/1115	1.3800 हैक्टेयर	बारानी I
कुल खसरे 3	कुल क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर	

प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित कृषि आराजी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 काश्तकार का नाम मे प्रार्थी का नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज हो गया है जो आज दिन तक चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार है जो प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजों आधार कार्ड,राशनकार्ड ,बैंक पास बुक इत्यादि मे भी प्रार्थी का नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार के नाम से बने हुये है लेकिन उक्त वर्णित कृषि आराजी मे प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों नने सेवन से चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज कर दिया जो गलत है एवं उक्त त्रुटि लिपिकिय है जिसकी राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कराना प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार है जो सही है। प्रार्थी के नाम से गांव गोल पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही मे कृषि आराजी खसरा नंबर 1703/1658 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी 3 है उक्त कृषि आराजी जमाबंदी मे प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों मे एवं प्रार्थी के नाम से अन्य खातेदारी कृषि आराजी मे प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के प्रार्थी का नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज होने से प्रार्थी को काफी तकलीफों एवं कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी को कृषको को मिलने वाली राजकीय सुविधाओं का लाभ से मिलने वाले योजनाओ का लाभ भी सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही हाने से नही मिल रहा है। प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि आराजी के राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज के वक्त प्रार्थी का नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी संबंधी हुई उक्त त्रुटि राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व रेकर्ड संधारण वक्त सहवन से हुई लिपिकिय गलती है एवं उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन प्रार्थी द्वारा कई बार राजस्व कार्मिकों से किया गया लेकिन उक्त त्रुटि को आज दिन तक दुरूस्त नही किया गया है जिस कारण से उक्त राजस्व प्रार्थनापत्र श्रीमान के माननीय न्यायालय मे वास्ते दुरूस्ती कृषि आराजी की राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार को चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार किये जाने हेतु माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल. आर एक्ट का स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के उक्त खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रकर्ड जमाबंदी

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

के कॉलम नंबर 4 काश्तकार का नाम संबंधी विवरण मे चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार के स्थान पर चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार को दर्शित करते हुये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 73 खसरा नंबर 1707/580-1714/1182 1717/1115 किता 3 कुल क्षैत्रफल 2.5000 हेक्टेयर प्रार्थी के नाम का आधारकार्ड-राशनकार्ड की प्रति जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता नंबर 74 खसरा नंबर 1703/1658 क्षैत्रफल 0.1000 हेक्टेयर की प्रमाणित प्रतियों का ड का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 1-8-2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार-सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । जिस पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही को नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 29-8-2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

तहसीलदार-सिरोही ने दिनांक 17-9-2018 को जवाब पेश किया जो शा.मि. है। उक्त जवाब मे तहसीलदार-सिरोही ने कथन किया कि ग्राम गोल पटवार मण्डल गोल मे जमाबंदी चौसाला 2070 से 2073 के अनुसार खाता संख्या 73-खसरा नंबर 1707/580 -1714/1182-तथा 1717/1115 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर मे चम्पकलाल पुत्र पदमाजी जाति लोहार सा.देह खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। तथा ग्राम गोल मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी चौसाला के अनुसार खसरा नंबर 1703/1658 रकबा 0.10 हैक्टेयर खातेदार चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार सा.देह खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थनापत्र के शेष कथन प्रार्थी सिद्व करना बताया है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27-2-2019 को पटवारी हल्का गोल ने वांछित मौका फर्द दिनांक 16-1-2019 पेश की है जिसे शा.मि. किया गया । उक्त पटवारी हल्का गोल द्वारा प्रार्थी व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति मे बनाई गई मौका फर्द 16-1-2019 के अनुसार मौके पर प्रार्थी व अन्य मौतबिरान भी उपस्थित हुये । राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा ननंबर 1707/580-1714/1182-1717/1115 कुल किता 3 रकबा कमशः 0.31-0.81-.1.38 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर खातेदार चम्पकलाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार सा.देह खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त अशुद्व नाम को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा श्रीमान की कोर्ट मे प्रकरण दर्ज कराया गया है। हमौके पर उपस्थित मौतबिरानों व अडौस पडौस से पूछने पर उनके द्वारा प्रार्थी का अशुद्व नाम चम्पकलाल के स्थान पर शुद्व (सही) नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार होना बताया गया है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के नाम पहचान हेतु ग्राम पंचायत गोल द्वारा जारी पहचान पत्र मे भी प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वंय के पहचान पत्र-आधारकार्ड नंबर 575052 493359 वोटर आई.डी. कमांक एचएचएक्स/1752088 सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार है। उपरोक्तानुसार दिये गये दस्तावेज वव अडौस पडौस व मौतबिरानों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार करना उचित है।

विचारण इस प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 10-6-2019 को वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही द्वारा विचारण प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी द्वारा पुराने राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉ व कानूनी प्रावधान पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया । वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम गोल की जमाबंदी संवत 2035 से 2038-जमाबंदी संवत 2040 से 2043 -जमाबंदी संवत 2044 से 2047 जमाबंदी संवत 2048 से 2051 जमाबंदी संवत 2052 से 55 की प्रतियॉ पेश करने से शा.मि. किया गया ।

हमने विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब तथा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की प्रतियों व मौका फर्द व उक्त वर्णित जमाबंदी की प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर गंभीरता से मनन किया । वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । उक्त सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी के नाम से गांव गोल पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही मे कृषि आराजी खसरा नंबर 1703/1658 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण बारानी 3 है उक्त कृषि आराजी जमाबंदी मे प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। तथा प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों मे एवं प्रार्थी के नाम से अन्य खातेदारी कृषि आराजी मे प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज है। पटवारी हल्का गोल द्वारा प्रार्थी व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति मे बनाई गई मौका फर्द 16-1-2019 के अनुसार मौके पर प्रार्थी व अन्य मौतबिरान भी उपस्थित हुये । राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा ननंबर 1707/580 -1714/1182 -1717/1115 कुल किता 3 रकबा कमशः 0.31-0.81-.1.38 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर खातेदार

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

चम्पकलाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार सा.देह खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त अशुद्व नाम को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा श्रीमान की कोर्ट मे प्रकरण दर्ज कराया गया है। हमौके पर उपस्थित मौतबिरानों व अडौस पडौस से पूछने पर उनके द्वारा प्रार्थी का अशुद्व नाम चम्पकलाल के स्थान पर शुद्व (सही) नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार होना बताया गया है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के नाम पहचान हेतु ग्राम पंचायत गोल द्वारा जारी पहचान पत्र मे भी प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार बताया गया है। प्रार्थी द्वाररा अपने स्वंय के पहचान पत्र-आधारकार्ड नंबर 575052 493359 वोटर आई.डी. कमांक एचएचएक्स/1752088 सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार है। उपरोक्तानुसार दिये गये दस्तावेज व अडौस पडौस व मौतबिरानों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार करना उचित बताया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत गोल ने दिनांक 1–1–2019 को जारी पहचान पत्र मे प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार निवासी गोल होना बतायाा है। जमाबंदी संवत 2040 से 2042 तक 2044 से 2047 तक मे प्रार्थी का गलत नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 74 के खसरा नंबर 1703/1658 की खातेदारी कृषि भूमि मे चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार सा.देह खातेदार दर्ज है। अतः उपरोक्त तहसीलदार-सिरोही के जवाब-पटवारी हल्का गोल के मौका फर्द-सरपंच ग्राम पंचायत गोल के पहचान पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2040 से 2042 तक 2044 से 2047 तक मे प्रार्थी का गलत नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 74 के खसरा नंबर 1703/1658 की खातेदारी कृषि भूमि मे चम्पालाल पुत्र पदमाजी लोहार सा.देह खातेदार दर्ज है तथा प्रार्थी द्वाररा अपने स्वंय के पहचान पत्र-आधारकार्ड नंबर 575052 493359 वोटर आई.डी. कमांक एचएचएक्स/1752088 सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लुहार है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लोहार निवासी गोल है जबकि पुरानी जमाबंदी संवत 2040 से 2042 तक 2044 से 2047 तक मे प्रार्थी का गलत नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार दर्ज है।

" भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत गलतियों का शुद्विकरण :– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार–अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें । "

विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के नाम की गलती सेटलमेण्ट अधिकारियों की वजह से हुई है तथा उक्त प्रार्थी के नाम की गलती को प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही दोनो पक्षों ने उपरोक्तानुसार स्वीकार किया है तथा विचारण प्रकरण की प्रार्थी के नाम की गलती जो कि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपने नाम की दुरूस्ती करवाने मे कानूनी उलझनो का सामना करने के साथ साथ प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान हो सकता है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार-सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार-सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि मौजा गोल पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 73 के खसरा नंबर 1707/580-खसरा नंबर 1714/1182-व खसरा नंबर 1717/1115 कुल खसरे 3 कुल क्षैत्रफल 2.5000 हैक्टेयर मे काश्तकार के कॉलम संख्या 4 मे काश्तकार के नाम मे प्रार्थी का गलत दर्ज नाम चम्पकलाल पुत्र पदमाजी लोहार निवासी गोल की जगह सही नाम चम्पालाल पुत्र पदमाजी जाति लोहार निवासी गोल दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2019 को मेरे हस्ताक्षर-पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज॰)